

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दीपक परिहार बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार तिवरी)

सू.अ.अ.अपील सं० 37 / 2023 ()

05.02.24

अपीलार्थी दीपक परिहार पुत्र बालूराम निवासी रामपुरा भाटियान तहसील तिवरी जिला जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.09.2023. में उसके द्वारा (1) दिनांक 09.02.21 व 18.01.23 तारीख को रेकॉर्ड में शुद्धिकरण करवाने व लंबित कार्य करवाने के संबंध में आवेदनों पर की गई प्रतिदिन की कार्यवाही अर्थात् दैनिक प्रगति रिपोर्ट व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिवरी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा 60 दिनांक 10.10.23 के जरिये सूचना प्रेषित की, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार तिवरी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार तिवरी) से जरिये पत्रांक 68 दिनांक 20.11.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 2023 / 60 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा प्रार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई।

अपीलार्थी ने अपील में व्यक्त किया कि आवेदन में सभी बिन्दुओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की मांग की गई। सभी बिन्दुओं का जवाब व अधूरा है तथा सत्यापित प्रतिलिपि करके नहीं दी गई, न साफ दिखाई दे रही है। अपील में बिन्दु सं० 1 व 3 की सूचना प्रश्नात्मक एवं तृतीय पक्षकार को सूचना देने का प्रावधान नहीं बताया, उक्त बिन्दुओं की सूचना जनहित कटाणी रास्ते से संबंधित है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं० 2, 3, 4 व 5 से संबंधित सूचना दी जा चुकी है, परन्तु इन बिन्दुओं की सूचना के साथ प्रेषित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्रेषित नहीं की गई तथा बिन्दु सं० 1 से संबंधित सूचना प्रश्नात्मक होने से सूचना देने का प्रावधान भी नहीं है अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिवरी) को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 2 से संबंधित सूचना के साथ जो दस्तावेज की प्रतियां प्रेषित की गई हैं प्रमाणित करते हुए पुनः प्रेषित करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।